निर्णय

(आज दिनांक 11-10-22 को घोषित)

1— आरोपी द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे **धारा–34(1)(ए) म. प्र.आबकारी अधिनियम** अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाकर 3500/– **(शब्दो में–** तीन हजार पांचसौ**)** के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 1 माह **का साधारण कारावास** भुगताया जाये ।

2— जप्तशुदा 25 क्वार्टर देशी मदिरा मसाला (लाल) मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।

निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राहुल सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विजयपुर श्योपुर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(राहुल सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विजयपुर श्योपुर (म0प्र0)

(2)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,1998

In the Court of : . राहुल सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी विजयपुर श्योपुर (म0प्र0)

CNR No mp 3105-..................

SUM/...416..........

Complaint or report made on-...11.10.22

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना ....आगरा.... बनाम ....टिल्लू उर्फ देवेन्द्र

Name,parentage, caste and address of accused

टिल्लू उर्फ देवेन्द्र S/o पातिराम कुशवाह उम्र- 26 साल नि. महावीरपुरा थाना आगरा जिला - श्योपुर

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

यह की आप दिनांक 22.09.22 को समय करीबन 12:30 बजे से 12.50 बजे के मध्य स्थान क्वारी नदी के पुल के पास क्षेत्रांतर्गत, जिला श्योपुर में अवैध रूप से 25 क्वाटर देशी मदिरा मशाला (लाल)..............., जिसकी कीमत करीबन 2500/-.....रूपये, को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे हुए पाये गये।

इस प्रकार आप अभियुक्त का कृत्य म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के अंतर्गत दंडनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। अतः आप अभियुक्त उक्त अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(राहुल सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विजयपुर, श्योपुर (म0प्र0)

The plea of accused and his examination (if any)

आरोपी का अभिवाक्–
स्वेच्छा संस्वीकार

(राहुल सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विजयपुर, श्योपुर (म0प्र0)

The offence proved, if any. and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offeance has been committed.